प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **18-06-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- दहेज हत्या के अभियोग में नामित/वांछित 01 आरोपी गिरफ्तार थाना कांठः-

अवगत करना है कि दिनांक 30.05.2025 को वादी जियाउद्दीन कुरैशी पुत्र स्व0 वजीर अहमद निवासी इंदिरा नगर मोहम्मदी चौक हल्द्वानी जनपद नैनीताल, उत्तराखंड ने आरोपीगण द्वारा वादी की पुत्री के पति व सुसरालजन द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर गाली-गलौच, मारपीट कर प्रताडित करते हुये हत्या कर देने के संबंध में थाना कांठ पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कांठ पर मु0अ0सं0- 147/2025 धारा-85/80(2)/74/115(2)/352/351(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट बनाम मौहम्मद खालिद आदि के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 18.06.2025 को थाना कांठ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित/वांछित अभियुक्त मौहम्मद खालिद पुत्र नसीम अहमद उर्फ लड्डन निवासी ग्राम गढ़ी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0- 147/2025 धारा-85/80(2)/74/115(2)/352/351(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तः-

मौहम्मद खालिद पुत्र नसीम अहमद उर्फ लड्डन निवासी ग्राम गढ़ी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-उ0नि0 कुलदीप कुमार थाना कांठ जनपद मुरादाबाद
2-उ0नि0 गौरव कुमार थाना कांठ जनपद मुरादाबाद
3-हे0कां0 राहुल देव थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।

2- थाना कुन्दरकी पुलिस द्वारा हत्या की घटना में नामित/वांछित 02 आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है दिनांक 15.06.2025 वादिनी निवासनी थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद ने आरोपीगण संजीव पुत्र होरी लाल व अन्य अज्ञात द्वारा वादिनी के पति गुलाब सिहँ (जो तांत्रिक कार्य करते थे) की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर देने के संबंध में थाना कुन्दरकी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कुन्दरकी पर मु0अ0सं0- 188/2025 धारा- 103(1) बीएनएस बनाम कुलदीप आदि के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 18.06.2025 को थाना कुन्दरकी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित/वांछित अभियुक्तगण 1. कुलदीप पुत्र छत्रपाल सैनी 2. विनोद पुत्र कल्लू सैनी निवासीगण ग्राम सन्दलपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया । उक्त अभियोग में दिनांक 16.06.2025 अभियुक्त संजीव पुत्र होरी लाल निवासी ग्राम संदलपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार कर, अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू (आला कत्ल) बरामद किया गया था । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0- 188/2025 धारा- 103(1) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- कुलदीप पुत्र छत्रपाल सैनी निवासी ग्राम सन्दलपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद
2- विनोद पुत्र कल्लू सैनी निवासी ग्राम सन्दलपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम संजीव की पिकअप चलाते हैं। संजीव हमारा अच्छा दोस्त है। गुलाब सिंह जो ग्राम हरियाना का रहने वाला है तथा झाड फूक व तान्त्रिक का काम करता था। संजीव की बहन उम्र 19 वर्ष जो बीमार हो गयी थी, जिसे डाक्टरो को बहुत दिखाया लेकिन कुछ आराम नही लग रहा था। तब संजीव के घरवालो ने उसकी बहन को गुलाब सिंह को दिखाया तो उसने झाड फूक व तांत्रिक क्रिया की जिससे उसकी बहन और ज्यादा बीमार हो गयी तथा जुलाई 2024 मे उसकी मृत्यु हो गयी। संजीव व उसके परिवार वालो को शक था कि उसकी बहन को गुलाब सिहँ ने तांत्रिक क्रिया से मारा है। उसके कुछ दिन बाद संजीव के पिता होरी लाल बीमार हो गये और उनकी भी हालत बिगडती गयी। तब उन्होने किसी अन्य तांत्रिक से पता किया तो उसने बताया कि तुम्हारे घर में गुलाब सिंह ने तंत्र बिद्या कर कर रखी है। तथा एक एक करके परिवार के सभी सदस्य इसी तरीके से मरते रहेगें। संजीव इस बात से बहुत परेशान व तनाव मे था कि गुलाब सिंह ने उसका घर बर्बाद कर दिया है।इसलिये उसने गुलाब सिंह को मारने की सोच ली तब संजीव ने हम दोनो को गुलाब सिंह की हत्या करने की योजना के बारे मे बताया। योजना के अनुसार रात्रि में हम लोग गुलाब सिंह के घर पहुँचे तो वह मच्छर दानी लगाकर चारपाई पर सो रहा था तथा पास ही चारपाई पर उसकी पत्नी भी सो रही थी। तब हमने मच्छरदानी हटवायी और संजीव ने छुरे से गर्दन पर वार कर दिया वार होते ही वह जोर से चिल्लाया तथा अपने बचाव हेतु संजीव से लिपट गया तब हमने ने उसको पकड लिया तथा संजीव ने उसके ऊपर तावड तोड वार कर दिये,जब गुलाब सिंह चिल्लाया तब उसकी पत्नी भी जाग गयी थी तथा शोर मचाने लगी तो हम लोग वहाँ से भाग गये थे।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार सहरावत
2-उ0नि0 राजनाथ सिंह थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।
3-उ0नि0 मुन्नालाल थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।
4-हे0कां0 सुखनन्दन थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।
5-हे0कां0 सन्दीप मलिक थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।
6-कां0 आकाश थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।
7-कां0 अभीत पोसवाल थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।

3- थाना बिलारी पुलिस द्वारा 02 वारण्टीं को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराधों में संलिप्त वांछित/वारण्टीं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 18.06.2025 को थाना बिलारी पुलिस द्वारा वारण्टीं अभियुक्तगण 1-कलाम पुत्र अनोखे अली निवासी मौहल्ला अंसारियान कस्बा व थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद संबंधित वारण्ट मुकदमा नं0- 17/25 अ0सं0- 42/25 धारा- 13 जी एक्ट, 2- चुन्ना उर्फ चुन्नीलाल पुत्र आशाराम निवासी मौहल्ला मंगूपुरा कस्बा नरौली थाना बनियाठेर जनपद संभल संबंधित वारण्ट परिवाद मुकदमा नं0- 1473/16 धारा- 498ए, 323, 504 भादवि0 को गिरफ्तार कर संबंधित मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार वारण्टीः-

1-कलाम पुत्र अनोखे अली निवासी मौहल्ला अंसारियान कस्बा व थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
2- चुन्ना उर्फ चुन्नीलाल पुत्र आशाराम निवासी मौहल्ला मंगूपुरा कस्बा नरौली थाना बनियाठेर जनपद संभल।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-उ0नि0 सुनील कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
2- कां0 धर्मेन्द्र सिंह थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
3- कां0 अंकित कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।

4- जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 24 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय **पुलिस द्वारा 24 व्यक्तियों** को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना गलशहीद-03, थाना पाकबड़ा-06, थाना भगतपुर-03, थाना भोजपुर-02, थाना बिलारी-10